कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/निःशुल्क प्रवेश सत्यापन/18878/2013–14(14–15)/वो–II/74 दिनांकः– 25-11-14

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा

....

विषयः–आरटीई के तहत् निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन कार्य दिनांक 30.11.14 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाने बाबत्।

प्रसंगः– प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा द्वारा दिनांक 24.11.14 की विभागीय विड़ियो कॉन्फ्रेसिंग में दिए निर्देशों के कम में।

उपर्युक्त् विषयान्तर्गत् लेख है कि आरटीई एक्ट् 2009 के प्रावधानान्तर्गत् गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन का कार्य 20.11.14 तक सम्पन्न करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया गया था, परन्तु समीक्षा उपरान्त् पाया गया कि सत्यापन कार्य पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं हो सका है।

इस संबंध में दिनांक 24.11.14 की विभागीय विड़ियो कॉन्फ्रेसिंग में प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया है कि :–

1. भौतिक सत्यापन कार्य दिनांक 30.11.14 तक आवश्यक रूप से सम्पन्न किया जाए। अतः निर्देशानुसार उक्त कार्य दिनांक 30.11.14 तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना सुनिश्चिंत करें। विलम्ब के लिए आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
2. जिन गैर सरकारी विद्यालयों को सत्र् 2013–14 की प्रथम् किस्त का पुनर्भरण तो किया जा चुका है, परन्तु द्वितीय किस्त का पुनर्भरण बकाया है, उन्हें द्वितीय किस्त का पुनर्भरण भी आगामी 10 दिवस में किया जाना सुनिश्चिंत करें।

निदेशक 25/11/14
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः– निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करवाने एवं सत्र 2013–14 की द्वितीय किस्त का भुगतान करवाने हेतु आपके अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयों को निर्देश प्रदान करने का श्रम् करावें।

निदेशक 25/11/14
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर